

>

Title: Introduction of the Prohibition of Child Marriage (Amendment) Bill, 2019 (Amendment of section 11).

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to amend the Prohibition of Child Marriage Act, 2006.”

The motion was adopted.

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूँ।

16 01 hrs